हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुक्म

नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फतेहपुर जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 129/2016

सरिता बनाम विनोद

दिनांक–24.11.2025

अधिवक्ता वादीगण श्री सर्वेश सारस्वत व अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री प्रमोद कुमार मोदी, श्री रजनीश महला व श्री जय कौशिक उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1/1 विवेक पौद्दार प्रतिवादी साक्षी के रूप में उपस्थित जिसकी प्रतिपरीक्षा में पूछे गये प्रश्न पर की गयी आपत्ति को आपत्तिकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बोले गये अनुसार अक्षरशः टंकित करवाया गया एवं आपत्ति पर उभयपक्ष को सुना गया। आपत्ति पर सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि **यद्यपि किसी दस्तावेज की साक्ष्य में ग्राह्यता के लिये उसका प्राथमिक अथवा द्वितीयक साक्ष्य की श्रेणी में आना आवश्यक है** किन्तु उपर्युक्त मौखिक आपत्ति का मूल आधार **आक्षेपित दस्तावेज के पहले से पत्रावली में नहीं होने** को बनाया गया है जिससे उपर्युक्त आपत्ति मूल रूप से **पूर्व में पत्रावली पर पेश नहीं किये गये दस्तावेज के संबंध में साक्षी से प्रश्न नहीं पूछे जाने व उससे उत्तर नहीं लिये जाने तथा प्रश्न काल्पनिक होने के संबंध में होने तथा आदेश 8 नियम 1(4) व आदेश 13 नियम 1(3) सिविल प्रक्रिया संहिता में साक्षी की प्रतिपरीक्षा में सुसंगत दस्तावेज जो प्राथमिक अथवा द्वितीयक साक्ष्य की श्रेणी में आते हों दिखाये जाकर साक्षी से प्रश्न पूछने का उपबंध होने से उपर्युक्त विधिक उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए अधिवक्ता वादीगण की उपर्युक्त आपत्ति को अस्वीकार किया गया।**

इसके पश्चात् साक्षी/प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य के दौरान किये गये उपर्युक्त आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने व माननीय उच्च न्यायालय से संभावित विधिक अनुतोष प्राप्त करने हेतु अवसर के लिये आवश्यक समय प्रदान करते हुए पत्रावली में आगामी कार्यवाही को स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया तथा आवेदन की प्रतिलिपि प्राप्त कर अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा बहस के दौरान पत्रावली में लंबी अवधि के लिये स्थगन नहीं दिये जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् प्रकरण इस न्यायालय का टारगेटेड संख्या–1 होने से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्र नंबर 04/P.I./2025 दिनांक 15.04.2024 को दृष्टिगत रखते हुए टारगेटेड पत्रावली संख्या–1 को प्रतिदिन नियत किया जाना आवश्यक होने से उपर्युक्त प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उभयपक्ष की सहमति से साक्षी की शेष परीक्षा हेतु अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली को साक्ष्य प्रतिवादी हेतु दिनांक 25.11.2025 को नियत किया जाता है।

24.11.2025

अपर जिला न्यायाधीश
फतेहपुर-शेखावाटी (सीकर) राज.